प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्रह'

[15/12/2015]

प्रश्न सं. [क्र. 1222]

परिशिष्ट–''अ''

विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 448 दिनांक 28 जुलाई,2015 द्वारा पूछे गये भाग (क) से (घ) की जानकारी

(क) वर्ष 2014–15 में जिला सतना के 07 विधान सभा क्षेत्रों को प्रति विधान सभा क्षेत्र में राशि रूपये 2,75,000/– के मान से कुल राशि रूपये 19,25,000/– आवंटित की गई ।

(ख) जी हां ।

(ग) मान. श्री शंकरलाल तिवारी विधायक विधानसभा क्षेत्र सतना द्वारा दिनांक 06.09.2014 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव कार्यालय सहायक द्वारा 17.09.2014 को प्रस्तुत की जाकर मान. प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन पश्चात दिनांक 05.11.2014 को स्वीकृत आदेश जारी किये गये तथा 09.03.2015 के पूर्व प्राप्त प्रस्ताव शाखा सहायक द्वारा दिनांक 09.03.2015 को प्रस्तुत किये गये। जो मान. प्रभारी मंत्री महोदय से दिनांक 31.03.2015 को अनुमोदन प्रश्चात कार्यालयीन आदेश कमांक 8936 दिनांक 23.03.2015 द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया गया तथा शेष प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 23.03.2015 एवं 30.03.2015 को मान. प्रभारी मंत्री महोदय को अनुमोदन हेतु भेजे गये । उपरोक्त प्रस्ताव दिनांक 31.03.2015 को अनुमोदन प्रश्चात स्वीकृत आदेश जारी किया जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को जिला कोषालय एवं उप कोषालय से राशि आहरित करने हेतु आदेशित किया गया । कोषालयों का सर्वर खराब चलने के कारण पारित देयक आहरित नही हो सके ।

(घ) जी हां । मान. विधायकगणों से प्राप्त प्रस्ताव नियमानुसार स्वीकृत एवं अनुमोदन हेतु मान. प्रभारी मंत्री जिला सतना को भेजे गये एवं अनुमोदन पश्चात दिनांक 31.03.2015 को स्वीकृत आदेश जारी किया जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त को राशि आहरण करने हेतु आदेशित किया गया । जिला कोषालय एवं उप कोषालय के सर्वर में तकनीकी खराबी होने के कारण राशि का आहरण नहीं हो पाया । उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किसी के विरूध्द कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)
मंत्रालय, भोपाल